

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] No. 202] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2004/फाल्गुन 6, 1925 NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2004/PHALGUNA 6, 1925

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 240(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी में उपदर्शित तत्स्थानी क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और उनके विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए समझे जाएंगे।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गी का विवरण
1	2	3
88ए	155	नगालैंड राज्य में मोकाकचुंग के समीप रा.रा. 61 के जंक्शन से प्रारंभ होकर त्येनसांग-सामपुरे मेलुरी को जोड़ते हुए और मणिपुर राज्य से गुजरकर नगालैंड राज्य में जेसामी के समीप रा.रा. 150 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग

[फा. सं. एन एच-14019/1/2004-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (स.वि.) व विशेष सचिव

टिप्पण : — राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची राजपत्र में उक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का. नि. आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का. आ. 1149(अ) तारीख 21 नवम्बर, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 240(E).—In exercise of the powers conferred by the Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the columns 2 and 3 of the Table below to be a National Highway.

The said highways, now declared to be National Highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

TABLE

Serial No. in the Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)	National Highway No.	Description of National Highways
1	2	3
88A	155	The highway starting from the junction of NH- 61 near Mokokchung in the State of Nagaland connecting Tuensang—Sampurre-Meluri and passing through the State of Manipur and terminating at its junction with NH150 near Jessami in the State Nagaland

[File No. NH-14019/1/2004-P&M]

INDU PRAKASH, DG (RD) and Spl. Secy.

NOTE:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act vide Notification No. S.R.O. 1180 dated the 4th April, 1957 and was last amended vide Notification No. S.O. 1149(E) dated the 21st November, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 241(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी में उपदर्शित तत्स्थानी क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और उनके विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए समझे जाएंगे।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
1	2	3
33सी	रा.रा. सं. 44 का विस्तार	मेघालय राज्य में शिलांग के समीप रा.रा. 40 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर नांगस्टाइन में समाप्त होने वाला राजंमार्ग

[फा. सं. एन एच-14019/1/2004-पी एंड एम]

इन्द्र प्रकाश, महानिदेशक (स.वि.) व विशेष सचिव

टिप्पण: — राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची राजपत्र में उक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का. नि. आ. 1180, तारीख़ 4 अप्रैल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का. आ. 1149(अ) तारीख़ 21 नवम्बर, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 241(E).—In exercise of the powers conferred by the Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the columns 2 and 3 of the Table below to be a National Highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the national highway number and the description thereof indicated in the said Table.

TABLE

Serial No. in the Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)	National Highway No.	Description of National Highways
1	2	3
33C	Extension of N H No. 44	The highway starting from its junction with NH 40 near Shillong and terminating at Nongstoin in the State of Meghalaya

[F. No. NH-14019/1/2004-P&M]

INDU PRAKASH, DG (RD) and Spl. Secy.

NOTE:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act vide Notification No. S.R.O. 1180 dated the 4th April, 1957 and was last amended vide Notification No. S.O. 1149(E) dated the 21st November, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 242(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी में उपदर्शित तत्स्थानी क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और उनके विवरण सहित उक्त अधिनिया का अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए समझे जाएंगे।

सारणी

ष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 1956 का 48) की अनुसूची में म संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
1	2	3
100ए	रा.रा. सं. 218 का विस्तार	कर्नाटक राज्य में बीजापुर के समीप रा.रा. 13 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर जेवर्गी-गुलबंगी को जोड़ते हुए हुम्नाबाद के समीप रा.रा. 9 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग

[फा. सं. एन एच-14019/1/2004-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (स.वि.) व विशेष सचिव

टिप्पण: — राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची राजपत्र में उक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का. नि. आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का. आ. 1149(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 242(E).—In exercise of the powers conferred by the Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the columns 2 and 3 of the Table below to be a National Highway.

The said highways, now declared to be National Highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

TABLE

Serial No. in the Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)	National Highway No.	Description of National Highways
1	2	3
100 A	Extension of NH No. 218	The highway starting from its junction with NH 13 near Bijapur and connecting Jevargi-Gulbarga and terminating at its junction with NH 9 near Homnabad in the State of Karnataka.

[F. No. NH-14019/1/2004-P&M]

INDU PRAKASH, DG (RD) and Spl. Secy.

NOTE:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act *vide* Notification No. S.R.O. 1180, dated the 4th April, 1957 and was last amended *vide* Notification No. S.O. 1149(E), dated 21st November, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 243 (अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी में उपदर्शित तत्स्थानी क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और उनके विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए समझे जाएंगे।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
1	2 .	3
63 एए	रा.रा. सं. 75 का विस्तार	झारखंड राज्य में रांची के समीप रा.रा. 33 के जंक्शन से प्रारंभ होकर खुंटी-मुरहू-चक्रधरपुर चाइबासा-जैतगढ़ को जोड़ते हुए और उड़ीसा राज्य में परसोरा के समीप रा.रा. 215 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एन एच-14019/1/2004-पी एंड एम]

इन्द्र प्रकाश, महानिदेशक (स.वि.) व विशेष सचिव

टिप्पण: — राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची राजपत्र में उक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का. नि. आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का. आ. 1149(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 243(E).—In exercise of the powers conferred by the Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the columns 2 and 3 of the Table below to be a Ntional Highway.

The said highways, now declared to be National Highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

TABLE

Serial No. in the Schedule to the National Highway No. National Highways Act, 1956 (48 of 1956)		Description of National Highways
1	2	3
63 AA	Extension of NH No. 75	The highway starting from the junction of NH 33 near Rachi in the State of Jharkhand connecting Khunti-Murhu-Chakradharpur-Chaibasa-Jauitgarh and terminating at its junction with NH 215 near Parsora in the State of Orissa.

[F. No. NH-14019/1/2004-P&M]

INDU PRAKASH, DG (RD) and Spl. Secv.

NOTE:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act *vide* Notification No. S.R.O. 1180, dated the 4th April, 1957 and was last amended *vide* Notification No. S.O. 1149(E), dated 21st November, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 244(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी में उपदर्शित तत्स्थानी क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और उनके विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए समझे जाएंगे।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
1	2	3
61 बी	73 ए	हरियाणा राज्य में यमुनानगर के समीप रा.रा. 73 के जंक्शन से प्रारंभ होकर जगाधरी-मुस्तफाबाद-लेदी- दारपुर को जोड़ते हुए और हिमाचल प्रदेश राज्य में पौंटासाहिब के समीप रा.रा. 72 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

1	2	3
59 बी	71 ब्री	हरियाणा राज्य में रेवाड़ी के समीप रा.रा. 71 के जंकशन से प्रारंभ होकर धारूहेड़ा को जोड़ते हुए और राजस्थान से गुजरते हुए तावडू-सोहना को जोड़ते हुए हरियाणा में पलवल के समीप रा.रा. 2 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एन एच-14019/1/2004-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (स.वि.) व विशेष सचिव

टिप्पण : — राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची राजपत्र में उक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का. नि. आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का. आ. 1149(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 244(E).—In exercise of the powers conferred by the Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the columns 2 and 3 of the Table below to be a National Highway.

The said highways, now declared to be National Highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

TABLE

Serial No. in the Schedule to the National Highway No. National Highways Act, 1956 (48 of 1956)		Description of National Highways	
1	2	3	
61B	73 A	The highway starting from the junction of NH 73 near Yamuna Nagar in the State of Haryana and connecting Jagadhri-Mustafabad-Ledi-Darpur and terminating at its junction with NH 72 near Paontasahib in the State of Himachal Pradesh.	
59B	71B	The highway starting from the junction of NH 71 near Rewari in the State of Haryana and connecting Dharuhera and passing through Rajasthan and connecting Taoru-Sohna and terminating at its junction with NH 2 near Palwa in the State of Haryana.	

[F. No. NH-14019/1/2004-P&M]

INDU PRAKASH, DG (RD) and Spl. Secy.

NOTE:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act *vide* Notification No. S.R.O. 1180, dated the 4th April, 1957 and was last amended *vide* Notification No. S.O. 1149(E), dated 21st November, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 245 (अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है। उक्त राजमार्ग, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी में उपदर्शित तत्स्थानी क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और उनके विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए समझे जाएंगे।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनि (1956 का 48) की अ क्रम संख्या	•	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
.1	*	2	3
13 जेजे		57 ए	बिहार राज्य में फारबिसगंज के समीप रा.रा. 57 के जंक्शन से प्रारंभ होकर जोगबनी में समाप्त होने वाला राजमार्ग
98 बी		110	बिहार राज्य में अरवल में रा.रा. 98 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर जहानाबाद-बंधुगंज-एकंगरसराय को जोड़ते हुए बिहारशरीफ के समीप रा.रा. 31 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
20 ए		28 ৰী	बिहार राज्य में छपवा से रा.रा. 28ए के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बेतिया, लौरिया, बगहा, छितोनी रेल सह सड़क पुल को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में कुशीनगर के समीप रा.रा. 28 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग

[फा. सं. एन एच-14019/1/2004-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (स.वि.) व विशेष सचिव

टिप्पण: — राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची राजपत्र में उक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 1149(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 245(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the columns 2 and 3 of the Table below to be a National Highway.

The said highways, now declared to be National Highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

TABLE

Serial No. in the Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 19	National Highway No. 56)	Description of National Highways
1	2	3
13 ЈЈ	57 A	The highway starting from the junction of NH-57 near Forbesganj and terminating at Jogbani in the State of Bihar
98B	. 110	The highway starting from its junction of NH- 98 from Arwal connecting Jahanabad Bandhuganj-Ekangarsarai and terminating at its junction with NH-31 near Biharsharif in the State of Bihar

1	2	3
20A	28B	The highway starting from its junction with NH-28 A from Chhapwa in the State of Bihar connecting Bettiah, Lauriya, Bagaha, Chhitauni Rail-cum-road bridge and terminating at its junction with NH-28 near Kushinagar in the State of Uttar Pradesh.

[F. No: NH-14019/1/2004-P&M]

INDU PRAKASH, DG (RD) and Spl. Secy.

NOTE:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act *vide* Notification No. S.R.O. 1180 dated the 4th April, 1957 and was last amended *vide* Notification No. S.O. 1149(E) dated 21st November, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 246(अ). — केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी में उपदर्शित तत्स्थानी क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और उनके विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए समझे जाएंगे।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
1	2	3
115	223	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र में अंडमान ट्रंक रोड

[फा. सं. एन एच-14019/1/2004-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (स.वि.) व विशेष सचिव

टिप्पण :—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची राजपत्र में उक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 1149(अ) तारीख 21 नवम्बर, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 246(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the columns 2 and 3 of the Table below to be a National Highway.

The said highways, now declared to be National Highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

TABLE

Serial No. in the Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)	National Highway No.	Description of National Highways
1	. 2	3
115	223	The Andaman Trunk Road in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands

[F. No. NH-14019/1/2004-P&M]

INDU PRAKASH, DG (RD) and Spl. Secv.

NOTE:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act *vide* Notification No. S.R.O. 1180, dated the 4th April, 1957 and was last amended *vide* Notification No. S.O. 1149(E), dated 21st November, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 247(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी में उपदर्शित तत्स्थानी क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और उनके विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए समझे जाएंगे।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विबरण
1	2	3
114	222	महाराष्ट्र राज्य में कल्याण के समीप रा.रा. 3 के जंक्शन से प्रारंभ होकर•और अहमदनगर-पाछेगांव (रा.रा. 211) मजलगांव-परभनी-नांदेड़ को जोड़ते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में रा.रा. 7 निर्मल के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग

[फा. सं. एन एच-14019/1/2004-पी एंड एम]

इन्द्र प्रकाश, महानिदेशक (स.वि.) व विशेष सचिव

टिप्पण: — राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची राजपत्र में उक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 1149(अ) तारीख 21 नवम्बर, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 247(E).—In exercise of the powers conferred by the Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the columns 2 and 3 of the Table below to be a National Highway.

The said highways, now declared to be National Highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

627-51-104-1

TABLE

Serial No. in the Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)	National Highway No.	Description of National Highways
1	2	3
114 of	222	The highway starting from the junction of NH-3 near Kalyan in the State of Maharastra and connecting Ahmadnagar-Pachegaon (NH 211)-Majalgaon-Parbhani-Nanded and terminating at its junction with NH-7 near Nirmal in the State Andhra Pradesh

[F. No. NH-14019/1/2004-P&M]

INDU PRAKASH, DG (RD) and Spl. Secy.

NOTE:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act *vide* Notification No. S.R.O. 1180, dated the 4th April, 1957 and was last amended *vide* Notification No. S.O. 1149(E), dated the 21st November, 2001.

अधिसूचना

मई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 248(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी में उपदर्शित तत्स्थानी क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और उनके विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए समझे जाएंगे।

सारणी

सादीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (৮56 का 48) की अनुसूची में क्र ^द ांस्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गौं का विवरण
1	2	3
98 सी	111	छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर के समीप रा.रा. 200 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कटघोरा को जोड़ते हुए अंबिकापुर के समीप रा.रा. 78 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग

[फा. सं. एन एच-14019/1/2004-पी एंड एम]

इन्द्र प्रकाश, महानिदेशक (स.वि.) व विशेष सचिव

टिप्पण: — राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची राजपत्र में उक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 1149(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 248(E).—In exercise of the powers conferred by the Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the columns 2 and 3 of the Table below to be a National Highway.

The said highways, now declared to be National Highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

TABLE

Serial No. in the Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)	National Highway No.	Description of National Highways
1 '	2	3
98C	111	The highway starting from its junction with NH-200 near Bilaspur connecting Katghora and terminating at its junction with NH 78 near Ambikapur in the State Chhattisgarh

JF. No. NH-14019/1/2004-P & MJ

INDU PRAKASH, DG (RD) and Spl. Secy.

इन्द्र प्रकाश, महानिदेशक (स.वि.) व विशेष अचिव

NOTE:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act *vide* Notification No. S.R.O. 1180, dated the 4th April, 1957 and was last amended *vide* Notification No. S.O. 1149(E), dated the 21st November, 2001.

अधिसृचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 249(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा पटन शक्तियों का पर्योग करते हुए, नीचे की सारणी के स्टंभ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती हैं।

उक्त राजमार्ग, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी में उपदर्शित तत्स्थानो क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और उनके विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए समझे जाएंगे।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	 राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
1	2	3
84 U	214 म्	आंध्र प्रदेश राज्य में दीगामारू के समीप रा.स. 214 के जंबशन से पारंभ होकर तरसापुर महत्वीपट्टनम चव्वापव्यती अवनीमाह्म-रेपव्यती अपतव्या चिरव्या को जोड़ते हुए अंगोल के समीप रा.स. 5 के साथ अपने जंबशन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
113	271	आंश्व प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा के समीप स.स. ९ के अंक्शन से प्रारंभ होकर कींडापल्ली भारालावरम तिरुवृहः पेनुबल्ली कीथामुडेम पलयांचा भदाचलम नेल्लीपका विवृह्य कींटा की जोड़ते हुए और छचीसगढ़ राज्य में जगदलपुर के समीप स.स. 16 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	[फा. सं. एन एच 14019/1/2004 वी एंड एस् [

टिप्पण: — राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची राजपत्र में उक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का. नि. आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का. आ. 1149(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 249(E).—In exercise of the powers conferred by the Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the columns 2 and 3 of the Table below to be a National Highway.

The said highways, now declared to be National Highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

TABLE

Serial No. in the Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)	National Highway No.	Description of National Highways
1	2	3
84A	214A	The highway starting from the junction of NH-214 near Digamarra connecting Narasapur-Machilipatnam-Challapalle-Avanigadda-Repalle-Bapatla-Chirala and terminating at its junction with NH 5 near Ongole in the State of Andhra Pradesh
113	221	The highway starting from the junction of NH 9 near Vijaywada in the State of Andhra Pradesh connecting Kondapalli-Mailavaram-Tiruvuru-Penuballi-Kothagudem-Palvancha Bhadrachalam-Nellipaka-Chinturu-Konta and terminating at its junction with NH-16 near Jagdalpur in the State of Chhattisgarh

IF. No. NH-14019/1/2004-P&M]

INDU PRAKASH, DG (RD) and Spl. Secy.

NOTE: —The Schedule to the National Highways Act. 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act *vide* Notification No. S.R.O. 1180. dated the 4th April. 1957 and was last amended *vide* Notification No. S.O. 1149(E), dated the 21st November, 2001.

अधिसृचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 250(अ).—केंद्रोय सरकार. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम. 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग. जिन्हे अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी में उपदर्शित तत्स्थानी क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और ंः विवरण महित उक्त अधिनियम को अनुमुची में विनिर्दिष्ट किए गए समझे जाएंगे।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गौं का विवरण
1	2	3
98 के	123	उत्तरांचल राज्य में रा.रा. 72 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर विकासनगर-कलसी-बरकट को जोड़ते हुए बरकोट बैंड के समीप रा.रा. 94 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
98 आई	119	उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ के समीप रा.रा. 58 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बिजनौर-नजीबाबाद-कोटद्वार -पौड़ी को जोड़ते हुए उत्तरांचल राज्य में श्रीनगर के समीप रा.रा. 58 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
98जे	121	उत्तरांचल राज्य में काशीपुर के समीप रा.रा. 74 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर रामनगर-धुमाकोट-थलीसैण- त्रिपालीसैरा-पाबो को जोड़ते हुए बुबाखाल के समीप रा. रा. 119 पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
68जीए	रा.रा. सं. 87 का विस्तार	उत्तरांचल राज्य में नैनीताल के समीप रा.रा. 87 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर भुवाली-अल्मोड़ा-रानीखेत- द्वारहाट-चौखुटिया-गैरसैण-अदबाबरी को जोड़ते हुए कर्णप्रयाग के समीप रा.रा. 58 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
98 एल	125	उत्तरांचल राज्य में सितारगंज के समीप स.स. 74 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर खटीमा-टनकपुर को जोड़ते हुए पिथैसगढ़ में समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एन एच-14019/1/2004-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (स.वि.) व विशेष सचिव

टिप्पण : — राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची राजपत्र में उक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का नि. आ. 1180, तारीख 4 अनेल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का. आ. 1149(अ), तारीख 21 नवम्बर, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 250(E).—In exercise of the powers conferred by the Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act. 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the columns 2 and 3 of the Table below to be a National Highway.

The said highways, now declared to be National Highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

TABLE

Serial No. in the Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 19	National Highway No. 956)	Description of National Highways
1 ′	2	3
98 K	123	The highway starting from its junction with NH 72 connecting Vikasnagar-Kalsi-Barkat and terminating at junction with NH 94 near Barkot bend in the State of Uttaranchal.
981	119	The highway starting from its junction with NH 58 near Meerut in the State of Uttar Pradesh and connecting Bijnor-Najibabad-Kotdwara-Pauri and terminating at its junction with NH 58 near Srinagar in the State of Uttaranchal.
98 J	121	The highway starting from its junction with NH 74 near Kashipur connecting Ramanagar-Dhumakot-Thalisain-Tripalisain-Pabo and terminating at NH 119 near Bubakhal in the State of Uttaranchal
68G A	Extension of NH No. 87	The highway starting from its junction with NH 87 near Nainital connecting Bhowali-Almora-Ranikhet Dwarahat-Chaukutia-Gairsain-Adbabri and terminating at its junction with NH 58 near Karna Prayag in the State of Uttaranchal.
98L 	125	The highway starting from its junction with NH 74 near Sitarganj connecting Khatima-Tanakpur and terminating at Pithoragarh in the State of Uttaranchal.

[F. No. NH-14019/1/2004-P&M]

INDU PRAKASH, DG (RD) and Spl. Secy.

NOTE:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act vide Notification No. S.R.O. 1180 dated the 4th April, 1957 and was last amended vide Notification No. S.O. 1149(E) dated 21st November, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 251(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी में उपदर्शित तत्स्थानी क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और उनके विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए समझे जाएंगे।

सारणी

ाष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 1956 का 48) की अनुसूची में कम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
1	2	3
34 एएबी	45 सी	तिमलनाडु राज्य में तंजाबुर के समीप रा.रा. 67 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कुम्बाकोणम-वृद्धाचलम को जोड़ते हुए उलुंदरपेट्टै के समीप रा. रा. 45 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
36 एबी	47 बी	तिमलनाडु राज्य में नागेरकोयल के समीप रा.रा. 47 के जंक्शन से प्रारंभ होकर अरालवायमोझी को जोड़ते हुए कवालिकनारू के समीप रा. रा. 7 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
54 एए	रा.रा. सं. 67 का विस्तार	तिमलनाडु राज्य में कोयम्बतूर के समीप रा. रा. 47 के जंक्शन से प्रारंभ होकर मेट्टूपालयम-ऊटी-गुडालूर को जोड़ते हुए कर्नाटक राज्य में गुंडलूपेट के समीप रा.रा. 212 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
34 बी	रा.रा. सं. ४५ का विस्तार	तिमलनाडु राज्य में डिंडीगुल के समीप रा.रा. 7 के जंक्शन से प्रारंभ होकर पेरियाकुलम को जोड़ते हुए थेनी के समीप रा.रा. 49 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एन एच-14019/1/2004-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (स.वि.) व विशेष सचिव

टिप्पण:—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची राजपत्र में उक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का.नि.आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 1149(अ) तारीख 21 नवम्बर, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 251(E).—In exercise of the powers conferred by the Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the columns 2 and 3 of the Table below to be a National Highway.

The said highways, now declared to be National Highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

TABLE

Serial No. in the Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)	National Highway No.	Description of National Highways
1	2	3
34 AAB	45C	The highway starting from its junction with NH 67 near Thanjavur connecting Kumbakonam-Vriddhachalam and terminating at its junction with NH 45 near Ulunderpettai in the State of Tamil Nadu.

1	2	3
36 AB	47B	The highway starting from the junction of NH-47 near Nagercoil connecting Aralvaymozhi and terminating at its junction with NH 7 near Kavalkinaru in the State of Tamil Nadu.
54 AA	Extension of NH No. 67	The highway starting from the junction of NH-47 near Coimbatore in the State of Tamil Nadu connecting Mettupalyam-Ooty-Gudalur and terminating at its junction with NH 212 near Gundlupet in the State of Karnataka.
34B	Extension of NH No. 45	The highway starting from the junction of NH-7 near Dindigul connecting Periyakulam and terminating at its junction with NH 49 near Teni in the State of Tamil Nadu

[File No. NH-14019/1/2004-P&M]

INDU PRAKASH, DG (RD) & Spl. Secy.

NOTE:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act *vide* Notification No. S.R.O. 1180 dated the 4th April, 1957 and was last amended *vide* Notification No. S.O. 1149(E) dated 21st November, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 252(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी में उपदर्शित तत्स्थानी क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और उनके विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए समझे जाएंगे।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गौ का विवरण
1 .	2	ż
107ए	91ए	उत्तर प्रदेश राज्य में इटावा के समीप रा.रा. 2 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर भर्थना-विधुना-बेला को जोड़ते हुए कन्नौज के समीप रा.रा. 91 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
64ए	रा.रा. 76 का विस्तार	उत्तर प्रदेश राज्य में इलाहाबाद के समीप रा.रा. 27 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर मिर्जापुर के समीप रा.रा. 7 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
20बी	28सी	उत्तर प्रदेश राज्य में बाराबंकी के समीप रा.रा. 28 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बहराइच को जोड़ते हुए नेपालगंज में समाप्त होने वाला राजमार्ग
21ए	रा.रा. सं. 29 का विस्तार	उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर के समीप रा.रा. 28 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर फरेंदा को जोड़ते हुए सनौली में समाप्त होने वाला राजमार्ग

[फा. सं. एन एच-14019/1/2004-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (स.वि.) व विशेष सचिव

टिप्पण: — राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची राजपत्र में उक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का. नि. आ. 1180, तारीख़ 4 अप्रैल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का. आ. 1149(अ) तारीख़ 21 नवम्बर, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 252(E).—In exercise of the powers conferred by the Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the columns 2 and 3 of the Table below to be a National Highway.

The said highways, now declared to be National Highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

TABLE

Serial No. in the Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 19	National Highway No. 56)	Description of National Highways
1	2	3
107A	91A	The highway starting from its junction with NH 2 near Etawah-connecting Bharthana-Bidhuna-Bela and terminating at its junction with NH 91 near Kannauj the State of Uttar Pradesh
64 A	Extension of NH No. 76	The highway starting from its junction with NH 27 near Allahabad and terminating at its junction with NH 7 near Mirzapur in the State of Uttar Pradesh
20 B	28 C	The highway starting from its junction with NH 28 near Barabanki connecting Bahraich and terminating at Nepalganj in the State of Uttar Pradesh.
21 A	Extension of NH No. 29	The highway starting from its junction with NH 28 near Gorakhpur connecting Pharenda-and terminating at Sonauli in the State of Uttar Pradesh.

[F. No. NH-14019/1/2004-P&M]

INDU PRAKASH, DG (RD) and Spl. Secy.

NOTE:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act vide Notification No. S.R.O. 1180 dated the 4th April, 1957 and was last amended vide Notification No. S.O. 1149(E) dated 21st November, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 253(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी में उपदर्शित तत्स्थानी क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और उनके विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए समझे जाएंगे।

सारणी		
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
1	2	3
69एए	रा.रा. सं. 60 का विस्तार	पश्चिम बंगाल राज्य में रानीगंज के समीप रा.रा. 2 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पाण्डवेश्वर-दुबराजपुर-सिउरी को जोड़ते हुए मोरेग्राम के समीप रा.रा. 34 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
69बी	60ए	पश्चिम बंगाल राज्य में बांकुरा के समीप रा.रा. 60 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर पुरुलिया के समीप रा.रा. 32 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
98एच	117	पश्चिम बंगाल राज्य में रा.रा. 6 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर कोना एक्सप्रेस मार्ग-विद्यासागर सेतु-कोलकाता- डायमंड हार्बर-कुलपी-नामखाना को जोड़ते हुए बक्खाली में समाप्त होने वाला राजमार्ग

[फा. सं. एन एच-14019/1/2004-पी एंड एम] इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (स.वि.) व विशेष सचिव

टिप्पण: — राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची राजपत्र में उक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का. नि. आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का. आ. 1149(अ) तारीख 21 नवम्बर, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 253(E).—In exercise of the powers conferred by the Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the columns 2 and 3 of the Table below to be a National Highway.

The said highways, now declared to be National Highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

TABLE

Serial No. in the Schedule to the National Highways A. 1956 (48 of	National Highway No. 1956)	Description of National Highways
1	2	3
69 AA	Extension of NH No. 60	The highway starting from its junction with NH 2 near Raniganj connecting Pandaveswara-Dubrajpur-Siuri and terminating at its junction with NH 34 near Moregram in the State of West Bengal.
69 B	60 A	The highway starting from its junction with NH 60 near Bankura and terminating at its junction with NH 32 near Puruliya in the State of West Bengal.
98 H	117	The highway starting from its junction with NH 6 connecting Kona Expressway-Vidyasagar Setu-Kolkata-Diamond Harbour-Kulpi-Namkhana and terminating at Bakkhali in the State of West Bengal.

[F. No. NH-14019/1/2004-P&M]

INDU PRAKASH, DG (RD) and Spl. Secv.

NOTE:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act *vide* Notification No. S.R.O. 1180 dated the 4th April, 1957 and was last amended *vide* Notification No. S.O. 1149(E) dated 21st November, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 254(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी में उपदर्शित तत्स्थानी क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और उनके विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए समझे जाएंगे।

सारणी		
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गी का विवरण
1	2	3
68एफएफएफ	86ए	मध्य प्रदेश राज्य में राहतगढ़ के समीप रा.रा. 86 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बेगमगंज-गैरतग्रज-देहगांव को जोड़ते हुए रायसेन के समीप रा.रा. 86 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
13बीबीसी	रा.सं. १२ए का विस्तार	मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर के समीप रा.रा. 7 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर दमोह—हीरापुर-शाहगढ़- टीकमगढ़-पिरथीपुर को जोड़ते हुए और उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी के समीप रा.रा. 26 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
17ए	26ए	मध्य प्रदेश राज्य में सागर के समीप रा.रा. 86 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर जिरूवाखेड़ा-खुरई को जोड़ते हुए बीना में समाप्त होने वाला राजमार्ग
	100	[फा. सं. एन एच-14019/1/2004-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (स.वि.) व विशेष सचिव टिप्पण:—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची राजपत्र में उक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का. नि. आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का. आ. 1149(अ) तारीख 21 नवम्बर, 2001

NOTIFICATION

द्वारा संशोधित किया गया था।

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 254(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns 2 and 3 of the Table below to be a National Highway.

The said highways, now declared to be National Highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

TABLE

Serial No. in the Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)	National Highways No.	Description of National Highways
1	2	3
68 FFF	86 A	The highway starting from its junction with NH 86 near Rahatgarh connecting Begamganj-Gairatganj-Dehgaon and terminating at its junction with NH 86 near Raisen in the State of Madhya Pradesh.

1	2	3
13BBC	Extension of NH No. 12A	The highway starting from its junction with NH 7 near Jabalpur in the State of Madhya Pradesh connecting Damoh-Hirapur-Shahgarh-Tikamgarh-Pirthipur and terminating at its junction with NH 26 near Jhansi in the State of Uttar Pradesh.
17 A	26 A	The highway starting from its junction with NH 86 near Sagar connecting Jeruwakhera-Khurai and terminating at Bina in the State of Madhya Pradesh.

[F. No. NH-14019/1/2004-P&M]

INDU PRAKASH, DG (RD) and Spl. Secy.

NOTE:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act *vide* Notification No. S.R.O. 1180, dated the 4th April, 1957 and was last amended *vide* Notification No. S.O. 1149(E), dated 21st November, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 255(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी में उपदर्शित तत्स्थानी क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और उनके विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए समझे जाएंगे।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
1	2	3
116	224	उड़ीसा राज्य में खुर्दा के समीप रा.रा. 5 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर नयागढ़ को जोड़ते हुए बोलनगीर के समीप रा.रा. 201 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
73एए	203ए	उड़ीसा राज्य में पुरी में रा.रा. 203 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर ब्रह्मगिरी को जोड़ते हुए सत्पदा में समाप्त होने वाला राजमार्ग
73ए	रा.रा. सं. 203 का विस्तार	उड़ीसा राज्य में पुरी से प्रारंभ होकर कोंणार्क में समाप्त होने वाला राजमार्ग

[फा. सं. एन एच-14019/1/2004-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (स.वि.) व विशेष सचिव

टिप्पण: —राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची राजपत्र में उक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का. नि. आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का. आ. 1149(अ) तारीख 21 नवम्बर, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 255(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns 2 and 3 of the Table below to be a National Highway.

The said highways, now declared to be National Highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

TABLE

Serial No. in the Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 c	National Highway No. of 1956)	Description of National Highways
1	2	3
116	224	The highway starting from its junction with NH 5 near Khurda and connecting Nayagarh and terminating at its junction with NH 201 near Bolangir in the State of Orissa
73AA	203A	The highway starting from its junction with NH 203 at Puri, connecting Bramhagiri and terminating at Satpada in the State of Orissa
73 A	Extension of NH No. 203	The highway starting from Puri and terminating at Konark in the State of Orissa

[F. No. NH-14019/1/2004-P&M]

INDU PRAKASH, DG (RD) and Spl. Secy.

NOTE:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act *vide* Notification No. S.R.O. 1180, dated the 4th April, 1957 and was last amended *vide* Notification No. S.O. 1149(E), dated 21st November, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 256(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी में उपदर्शित तत्स्थानी क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और उनके विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए समझे जाएंगे।

मारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) को अनुसूची में क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
1	2.	3
10 एए	रा.रा. सं. ८ए का विस्तार	गुजरात राज्य में नारायणसरोवर से प्रारंभ होकर निलया कोठारा-विखादी को जोड़ते हुए माण्डवी के समीप रा.रा 8ए के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
99 ए	रा.रा. सं. ४ई का विस्तार	गुजरात राज्य में द्वारिका से प्रारंभ होकर भोगत-पोरबंदर नवीबंदर-शिल को जोड़ते हुए सोमनाथ के समीप रा.र 8डी के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्

[फा. सं. एन एच-14019/1/2004-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (स.वि.) व विशेष सचिव

टिप्पण: — राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची राजपत्र में उक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का. नि. आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का. आ. 1149(अ) तारीख 21 नवम्बर, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 256(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns 2 and 3 of the Table below to be a National Highway.

The said highways, now declared to be National Highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

TABLE

Scrial No. in the Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of I	National Highway No. 956)	Description of National Highways
1	2	3
10AA	Extension of NH No. 8A	The highway starting from Narayan sarovar connecting Naliya-Kothara-Vikhadi and terminating at its junction with NH 8A near Mandvi in the State Gujarat
99 A	Extension of NH No. 8E	The highway starting from Dwarka connecting Bhogat-Porbandar-Navibander-Shil and terminating at its junction with NH 8D near Somnath in the State of Gujarat

[F. No. NH-14019/1/2004-P&M]

INDU PRAKASH, DG (RD) and Spl. Secy.

NOTE:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act *vide* Notification No. S.R.O. 1180, dated the 4th April, 1957 and was last amended *vide* Notification No. S.O. 1149(E), dated 21st November, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2004

का.आ. 257(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ 2 और 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

उक्त राजमार्ग, जिन्हें अब राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है, उक्त सारणी में उपदर्शित तत्स्थानी क्रम संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और उनके विवरण सहित उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए समझे जाएंगे।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
1	2	3
98 डी	112	राजस्थान राज्य में बाड़ के समीप रा.रा. 14 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर जैतरन-बिलारा-कपरडा-जोधपुर- कल्याणपुर-पचपद्र-बलोतरा-तिलवाड़ा-खेर-बगुंडी-धुधवा- मधसार-कावस को जोड़ते हुए बारमेड़ के समीप रा.रा. 15 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
98 एफ	114	राजस्थान राज्य में जोधपुर के समीप रा.रा. 65 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बालेसर-डेचू को जोड़ते हुए पोखरण के समीप रा.रा. 15 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग

1

1	2	3
98एच	116	राजस्थान राज्य में टोंक के समीप रा.रा. 12 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर उनियास को जोड़ते हुए सवाईमाधोपुर में समाप्त होने वाला राजमार्ग
13एएबी	11बी	राजस्थान राज्य में लालसोट के समीप रा.रा. 11ए के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर करौली को जोड़ते हुए धौलपुर के समीप रा. रा. 3 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग
98ई	113	राजस्थान राज्य में निम्बाहेड़ा के समीप रा.रा. 79 के जंक्शन से प्रारंभ होकर प्रतापगढ़-बांसवाड़ा-झालोड़-लिंबी को जोड़ते हुए और गुजरात राज्य में दाहोद के समीप रा.रा. 59 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग

[फा. सं. एन एच-14019/1/2004-पी एंड एम]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (स.वि.) व विशेष सचिव

िष्पण:—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूचो राजपत्र में उक्त अधिनियम के साथ अधिसूचना सं. का. नि. आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 के द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना सं. का. आ. 1149(अ) तारीख 21 नवम्बर, 2001 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2004

S.O. 257(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the columns 2 and 3 of the Table below to be a National Highway.

The said highways, now declared to be National Highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the corresponding serial number, the National Highway number and the description thereof indicated in the said Table.

TABLE

Scrial No. in the Schedule to the National Highway No. National Highways Act 1956 (48 of 1956)		Description of National Highways	
1	2	3	
9×P	112	The highway starting from its junction with NH 14 near Bar connecting Jaitaran-Bilara-Kaparda-Jodhpur-Kalyanpur-Pachpadra-Balotra-Tilwara-Kher-Bagundi-Dhudhwa-Madhasar-Kawas and terminating at its junction with NH 15 near Barmer in the State of Rajasthan	
98 F	114	The highway starting from its junction with NH 65 near Jodhpur connecting Balesar-Dachhu and terminating at its junction with NH 15 near Pokaran in the State of Rajasthan	
98 H	116	The highway starting from its junction with NH 12 near Tonk connecting Uniara and terminating at Swaimadhopur in the State of Rajasthan	

1	2	3
13 AAB	IìВ	The highway starting from its junction with NH11A near Lalsot connecting Karauli and terminating at its junction with NH 3 near Dhaulpur in the state of Rajasthan
98E	113	The highway starting from the junction of NH-79 near Nimahera in the state of Rajasthan and connecting Pratapgarh-Banswara-Jhalod-Limbi and terminating at its junction with NH 59 near Dahod in the State of Gujarat

[F. No. NH-14019/1/2004-P&M]

INDU PRAKASH, DG (RD) and Spl. Secy.

NOTE:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act *vide* Notification No. S.R.O. 1180 dated the 4th April. 1957 and was last amended *vide* Notification No. S.O. 1149(E) dated 21st November, 2001.